अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 510/2012

जर्नादन यादव एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

भागवत यादव एवं अन्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 21.09.12 ई० अंदर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्याः 95/2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि भागवत यादव एवं अन्य रेस्पोण्डेन्ट/वादी प्रथम पक्ष का वाद यह है कि छत्तर यादव एवं अधिक यादव द्वारा खाता संख्या 203, 204, 205, 206 रकबा 1 बीघा 1 कट्ठा 18 धूर भूमि निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 27.03.1965 और बारे लाल यादव पिता–छत्तर यादव 20 डी0 यानि 4 कट्ठा 12 धूर भूमि के साथ–साथ 21 डी0 एवं 9 डी0 भूमि को भी अपीलार्थी के हाथ बिक्री कर दिया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि को रेस्पोण्डेन्ट/वादी की रैयती भूमि घोषित करने एवं अनुसूची 4 की भूमि की पुनःप्राप्ति एवं अनुसूची 3 की भूमि पर रोक लगाने तथा अन्य अनुतोष हेतु निम्न न्यायालय में वाद दाखिल किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी का वाद यह था कि विपक्षियों द्वारा जबरन वादी को अनुसूची –4 की भूमि से बेदखल कर दिया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट द्वारा कुल रकबा 1 बीघा 1 कट्ठा 18 धूर यानि 96 डी0 पर दावा गलत है क्योंकि अर्जी आवेदन की अनुसूची –1 में रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा

रकबा 6 कट्ठा 16 धूर भूमि पर दावा किया गया है परन्तु खेसरा संख्या 205 का वास्तविक रकबा 6 कट्ठा 8 धूर है। अतएवं वादी का खेसरा 205 के निश्वत कियान्वित केवाला दस्तावेज दिनांक 27.03.1965 गलत होना बतलाते हैं वो वादी के द्वारा किये गये दावे को गलत होना बतलाये हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी को वाद यह है कि अर्जी आवेदन के अनुसूची –3 एवं 4 में प्रश्नगत विवादी भूमि के विवरण में उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम में मापी का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं होना बतलाते हैं। अतएवं वर्णित चौहद्दी भ्रमक एवं अनिश्चित होना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि भागवत यादव के केवाला दस्तावेज में पूराना खेसरा संख्या 205, 206, नया खेसरा संख्या 1037 में विपक्षी सुनील यादव का नाम चौहद्दी में अंकित किया गया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा बदलेन दस्तावेज के माध्यम से कुल रकबा 4 कट्ठा 16 धूर अर्जित है एवं केवाला द्वारा 2 कट्ठा अर्जित है। अपीलार्थी द्वारा खेसरा संख्या 207 रकबा 2 कट्ठा 2 धूर निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 05.11.99 के माध्यम से अर्जित होना बतलाते हैं। अपीलार्थी द्वारा खेसरा संख्या 207 रकबा 9 धूर 10 धूरकी भूमि निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 22.12.97 के माध्यम से कय किया गया वो खेसरा संख्या 207 का रकबा 1 कट्ठा 1 धूर भूमि केवाला दस्तावेज दिनांक 27.03.98 और खेसरा संख्या 207 का रकबा 19 धूर भूमि केवाला दस्तावेज दिनांक 22.12.97 से कय किया गया और कुल कय की गयी भूमि एवं बदलैन की भूमि एक ही भूखंड में अवस्थित है लेकिन अंचल अमीन द्वारा उक्त भूखंड की बिना मापी किये ही प्रतिवेदन समर्पित किया गया बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी के पूर्वज छत्तर यादव वो अधिक यादव पेसरान लछु यादव साकिन – बसंतपुर, थाना– बख्तियारपुर, साकिब जिला– मुंगेर, हाल जिला– सहरसा ने बॉके मौजा बसंतपुर, परगना – फरकिया , थाना– बख्तियारपुर, साविक जिला– मुंगेर तौजी नं0 6052, थाना नं0 72 के अन्तर्गत वजरिये दो निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 3809 एवं 3810 से दिनांक 27.03.65 को नविस्ते श्रीमति राधा देवी, बाबू उपेन्द्र नारायण सिंह वो बाबू केदार ना0 सिंह से खाता पुराना 53 में खेसरा पुराना 206 रकबा 4 कट्ठा 16 धूर खेसरा पुराना 203 में रकबा 6 कट्ठा 17 धूर खेसरा पुराना 204 में रकबा 3 कट्ठा 9 धूर खेसरा पराना 205 में रकबा 6 कट्ठा 17 धूर कुल 1 बीघा 1 कट्ठा 18 धूर यानि 96 डी0 जमीन खरीदकर हकदार वो दखलकार रहते आये वो वाद मरने छतर यादव वो अधिक यादव के वारिसान रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण हकदार वो दखलकार रहते चले आये। रमेश यादव पिता स्व0 हुकुल लाल यादव निम्न न्यायालय में मोकदमा दायर करते समय मौजा मजकुर में नहीं रहने के कारण इन्हें विपक्षी तृतीय पक्ष बनाया गया लेकिन विवादी जमीन विपक्षी तृतीय पक्ष रमेश यादव का हक हिस्सा है।

रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट्स/ वादी ने निम्न न्यायालय के अर्जी आवेदन के मद नं0 1 की एराजी 1 बीघा 1 कट्ठा 18 धूर यानि 96 डी0 में से रेस्पोण्डेन्ट/ वादी नं0 14 वो 15 के पिता रामलखन यादव ने 21 डी0 जमीन वजरिये बदलनामा दस्तावेज नं0 9329 दिनांक 29.06.1994 वो रेस्पोण्डेन्ट/वादी नं0 12 बड़ेलाल यादव ने 2 कट्ठा जमीन वजरिये केवाला नं0 9436 दिनांक 01.07.94 से विपक्षीगण प्रथम पक्ष को बिक्री किये जिसका विवरण निम्नन्यायालय के अर्जी आवेदन के मद नं0 –2 में दिया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट/वादी नं0 13 कपलेश्वर यादव के पिता प्रेमलाल यादव ने मद नं0 1 की एराजी में से दिनांक 29.12.1992 ई0 को वजरिये दो निबंधित केवाला दस्तावेज नं0 22061 से 3 कट्ठा जमीन एवं केवाला

दस्तावेज नं0 22062 से 1 कट्ठा 12 धूर जुमला 4 कट्ठा 12 धूर यानि 20 डी0 जमीन रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष को बिक्री किये जिस पर रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष हकदार एवं दखलकार हैं। रेस्पोण्डेन्ट द्वितीय पक्ष के उपर केश नहीं किया जाता है इनके सिर्फ मिटाने खरखसा के पक्षकार बनाया जाता है।

रेस्पोण्डेन्ट्स/वादी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्नन्यायालय में दाखिल अर्जी आवेदन के मद नं0 1 की एराजी 1 बीघा 1 कट्ठा 18 धूर यानि 96 डी० में से रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण ने प्रथम केवाला के अनुसार रेस्पोण्डेन्ट्स/विपक्षीगण द्वितीय पक्ष को 20 डी० जमीन बिक्री किये उसके बाद 21 डी० यानि 4 कट्ठा 16 धूर एवं 9 डी० यानि 2 कट्ठा जुमला 6 कट्ठा 16 धूर जमीन अपीलार्थीगण/विपक्षीगण प्रथम पक्ष को बिक्री के बाद रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण 46 डी० जमीन जिस पर रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण का चार मुँह का पक्की मकान बनाने वास्ते ईटा का कुर्सी दिया हुआ है वो वकिये जमीन में रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण साग, सब्जी उपजाते हैं। जिसका विवरण निम्नन्यायालय के वाद पत्र के मद नं० 3 में दिया गया है जिसे भी विवादी भूमि करार दिया जाता है।

रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी/विपक्षीगण प्रथम पक्ष महज मामलेवाज वो मुतफनी व्यक्तिगण है जिन्होंने रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण की हकियती वो दखली जमीन मद नं0 1 की एराजी अंश मद नं0 3 की एराजी 46 डी0 पर दस्तनदाजी करने लगे तो रेस्पोण्डेन्ट/वादी संख्या 1 भागवत यादव ने अंचल कार्यालय, सिमरीबख्तियारपुर में मापी वास्ते आवेदन दिये जिसके आधार पर मापी अभिलोख संख्या 30/2008–09 के ज्ञापांक 669–2 दिनांक 30.07.09 के आलोक में अंचल अमीन महेन्द्र मेहता के नापी प्रतिवेदन से रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण प्रथम पक्ष को जाहिर हुआ कि उनकी खरीदगी हकियती वो दखली जमीन मद नं01 की एराजी खाता पुराना 53 खेसरा पुराना 206,205,204 के रकबा 05 डी0 जमीन को ही अपीलार्थी/ विपक्षी प्रथम पक्ष नं0 2 सोली यादव ने नाजायज ढंग से अवैध कब्जा कर लिया है, जिसे विवादी जमीन करार दिया जाता है जिसका विवरण इस आवेदन पत्र मद नं0 4 में दिया जाता है।

रेस्पोण्डेन्ट्स/वादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी/विपक्षी प्रथम पक्ष नं0 2 सोली यादव से अंचल अमीन मापी प्रतिवेदन के वाद से बराबर तलब तकाजा करते आये कि विवादी जमीन मद नं0 4 पर से अपना नाजायज कब्जा हटा लें लेकिन वे बराबर टाल मटोल करते आये ।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

6/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6/12/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा